पत्रांक– मं०स०का०का०(गठन) 01 / 2007 –995

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय (का०का०) विभाग

–:: *संकल्प* ::–

दिनांक 16 नवम्बर, 2009

अर्थ–व्यवस्था को सुदृढ़ करने, कमजोर वर्गों के परिवारों को सहायता दिलाने हेतु तथा राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति गठन की व्यवस्था है। राज्य स्तरीय समिति के कार्यों को और प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से पूर्व में विभागीय संकल्प संख्या 1182 दिनांक 18.04.2007 द्वारा की गयी व्यवस्था को अवक्रमित करते हुए राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरान्त निम्नरूपेण व्यवस्था करने का निर्णय लिया है।

2. राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है। समिति का कार्यकाल तीन वर्षो का होगा। इस समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे –

01.	मुख्यमंत्री, बिहार	अध्यक्ष
02.	उप मुख्यमंत्री, बिहार	कार्यकारी अध्यक्ष
03.	मुख्य मंत्री द्वारा मनोनीत	दो उपाध्यक्ष
04.	सभी मंत्री / राज्य मंत्री	सदस्य
05.	मुख्यमंत्री द्वारा नामित 25 सदस्य	सदस्य
06.	मुख्य मंत्री द्वारा नामित 12 प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण	सदस्य
07.	भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक	सदस्य
08.	लीड बैंकों के राज्यस्तरीय प्रमुख पदाधिकारी	सदस्य

3. इसके अलावा मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, वित्त आयुक्त, अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं सभी विभागों के प्रधान सचिव / सचिवगण तथा आरक्षी महानिदेशक समिति के स्थायी पदेन सदस्य होंगे।

3.1. प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग इस समिति के पदेन सचिव होंगे।

4. अध्यक्ष की स्वीकृति से समिति की बैठक बुलाई जायेगी।

5. ***राज्य स्तरीय समिति के कृत्य एवं दायित्व :***

5.1 राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की मदवार समीक्षा। (अनुलग्नक 'क' पर राज्य सरकार द्वारा लागू महत्वपूर्ण योजनाओं की सांकेतिक सूची संलग्न है।)

5.2 जन वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण व्यवस्था की समीक्षा।

5.3 ग्रामीण रोजगार संबंधी बिन्दुओं पर विस्तार से समीक्षा।

5.4 कृषि एवं कृषि पर आधारित योजनाओं (बैंकों के सहयोग पर आधारित योजनाओं सहित) के कार्यान्वयन की समीक्षा।

5.5 बिहार भूजल सिंचाई योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा।

5.6 ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के अलावा ग्रामीण कार्य विभाग के तथा अन्य ग्रामीण पथ एवं पुल–पुलिय से संबंधित योजनाओं की समीक्षा।

5.7 शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पेयजल योजनाओं की समीक्षा।

5.8 वन विस्तार के अलावा हॉर्टिकल्चर मिशन को बड़े पैमाने पर लागू करने की दिशा में पहल।

5.9 बेरोजगारी से निपटने के लिए स्वयं सहायता समूह एवं स्वरोजगार संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन पर विचार।

5.10 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों एवं भूमिहीनों को कृषि/ग्रामीण विकास/राजस्व एवं भूमि सुधार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के अलावा इन्हें स्वयं सहायता समूह में संगठित करने की समीक्षा।

5.11 बैंकों द्वारा विभिन्न स्रोतों से वित्त पोषित बड़ी-बड़ी योजनाओं की समीक्षा, जिसमें नाबार्ड की आर॰आई॰डी॰एफ॰ योजना भी सम्मिलित होगी।

5.12 अध्यक्ष महोदय के निदेश पर अन्यान्य बिन्दु।

6. दोनों उपाध्यक्षों में प्रत्येक को रु॰ 33,000/- (तैंतीस हजार रुपये) प्रतिमाह मानदेय अनुमान्य होगा। प्रत्येक उपाध्यक्ष को एक वाहन (प्रतिमाह 250 लीटर अधिकतम ईंधन की सीमा तक) अनुमान्य होगा। अगर निजी कार से सरकारी कर्त्तव्य के लिए सड़क मार्ग से यात्रा की जाती है तो उन्हें 10/- (दस) रुपये प्रति किलोमीटर की दर से मील भत्ता देय होगा। दोनों उपाध्यक्षों को प्रशासी विभाग कार्यालय तथा आवास पर एक-एक दूरभाष की सुविधा उपलब्ध कराएगा। दोनों उपाध्यक्षों के लिए एवं उनके परिवार के सदस्यों को अखिल भारतीय सेवा के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियों के समान निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा प्राप्त करने का प्रावधान प्रशासी विभाग के स्तर से किया जाएगा। दोनों उपाध्यक्षों में प्रत्येक को कार्यहित में दो आप्त सचिव, दो निजी सहायक, एक निम्नवर्गीय लिपिक एवं दो आदेशपाल की सुविधा प्रशासी विभाग के स्तर से उपलब्ध कराया जाएगा। इन मदों पर होने वाले व्यय का वहन प्रशासी विभाग करेगा।

7. दोनों उपाध्यक्ष निःशुल्क एवं सुसज्जित आवास के हकदार होंगे। आवास तथा आवास के रख-रखाव की जिम्मेवारी भवन निर्माण विभाग की होगी।

8. बैठक में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्य, गैर-सांसद, गैर-विधान मंडल सदस्यों/उपाध्यक्षों को दैनिक भत्ता के रूप में 100/- रू० (एक सौ रूपये) तथा यात्रा भत्ता रु॰ 500/-(पाँच सौ रुपये) प्रति बैठक देय होगा। दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता उन्हें समिति की बैठक में भाग लेने पर ही अनुमान्य होगा।

आदेश: **आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसे बिहार राजपत्र में प्रकाशित कराया जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

अनु0 :- यथोक्त।

ह0/-
(राम उद्गार महतो)
सरकार के अवर सचिव

D:\sanjeet\D\ Sec\USKK\123.doc\1

ज्ञापांक– मं०स०का०का०(गठन) 01/2007–995 पटना 15 दिनांक 16 नवम्बर, 2009

प्रतिलिपि– सभी मंत्री/राज्य मंत्री/उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

(राम उद्गार महतो)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक– मं०स०का०का०(गठन) 01/2007–995 पटना 15, दिनांक 16 नवम्बर, 2009

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/अध्यक्ष एवं सदस्य, राजस्व पर्षद/अध्यक्ष बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/सचिव/उप मुख्य मंत्री के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(राम उद्गार महतो)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक– मं०स०का०का०(गठन) 01/2007–995 पटना–15, दिनांक 16 नवम्बर, 2009

प्रतिलिपि– सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पदाधिकारी अपने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं आरक्षी अधिक्षक अपने सभी आरक्षी उपाधीक्षकों को अपने स्तर से इसकी प्रति उपलब्ध कराएंगे।

ह0/–

(राम उद्गार महतो)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक– मं०स०का०का०(गठन) 01/2007–995 पटना–15, दिनांक 16 नवम्बर, 2009

प्रतिलिपि– राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संकल्प का 1000 (एक हजार) प्रतियाँ उविलम्ब मुद्रित कर इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

16/11

(राम उद्गार महतो)

सरकार के अवर सचिव

D:\sanjeev\Dy Secy\NKK123.doc12

अनुलग्नक 'क'

कार्यक्रम कार्यान्वयन की दृष्टि से समीक्षा की जानेवाली योजनाओं की सांकेतिक सूची

1. मुख्यमंत्री अनु०जाति एवं अनु०जनजाति मेधा वृति योजना
2. मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधा वृत्ति योजना
3. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विधार्थी प्रोत्साहन योजना
4. मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना
5. मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना
6. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
7. मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना
8. मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना 'पहचान'
9. मुख्यमंत्री निःशक्त जन शिक्षा ऋण योजना
10. मुख्यमंत्री निःशक्त जन स्वरोजगार ऋण योजना
11. मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना
12. मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास कार्यक्रम
13. मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना
14. मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना
15. मुख्यमंत्री खेल विकास योजना
16. मुख्यमंत्री आवास योजना
17. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना
18. मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना
19. मुख्यमंत्री जिला विकास योजना
20. मुख्यमंत्री नगर (समेकित शहरी) विकास योजना
21. मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना
22. मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना
23. मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना
24. मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना
25. मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना
26. मुख्यमंत्री जीवन दृष्टि योजना
27. मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना
28. लोहिया स्वच्छता योजना
29. महादलितों के विकास के लिए कार्यान्वित योजनाएँ
30. केन्द्र प्रायोजित योजनायें यथा, नरेगा, इंदिरा आवास योजना, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, हरियाली योजना, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM) की योजनायें।

D:\sanjeet\Dy. Sec\USKK123.doc9